भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 1002
(जिसका उत्तर मंगलवार, 03 मई, 2016 को दिया गया)

धन जमा कराने से संबंधित गतिविधियों को विनियमित करने हेतु विधायी ढांचा

1002. श्रीमती वानसुक साइमः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पोंजी योजानाओं से संबंधित एक प्रारूप कानून के संबंध में आम जनता से टिप्पणियां मांगकर ऐसे अपराधियों के विरूद्ध कड़ी दांडिक और आर्थिक शास्ति के माध्यम से पोंजी योजनाओं की समस्या से निपटाने हेतु तैयारी कर ली है;
(ख) क्या सरकार ने धन जमा कराने से संबंधित गतिविधियों के लिए विद्यमान विनियामक ढांचे में त्रुटियों की पहचान करने हेतु क्षेत्र विशेषज्ञों के एक समूह का गठन किया है;
(ग) क्या उक्त विशेषज्ञों के समूह ने विधायी और गैर-विधायी, दोनों ही तरह के कई उपाय करने की सिफारिश की है; और
(घ) क्या धन जमा कराने से संबंधित फर्मों के अलावा पिरामिड विपणन कंपनियों को भी उक्त नए विधान के अतंर्गत लाया जाएगा?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

*****

(क) से (ग): भारत सरकार ने जमा स्वीकार करने वाले कार्यकलापों के लिए वर्तमान नियामक ढांचे में कमियों का पता लगाने और 'जमा स्वीकार करने' के सभी संबंधित पक्षों को शामिल करते हुए एक नया कानून तैयार करने सहित प्रशासनिक/विधायी उपायों का सुझाव देने के लिए एक अंत: मंत्रालयी समूह (आईएमजी) का गठन किया है। आईएमजी ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है और एक व्यापक केन्द्रीय कानून यथा "अनियमित जमा स्कीमों की पाबंदी और जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक" ('पाबंदी विधेयक') अधिनियमित करने का सुझाव दिया है। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में अन्य बातों के साथ-साथ अवैध रूप से जमा राशि स्वीकार करने की योजना चलाने वालों से निपटने के लिए वर्ष 2016-17 में एक व्यापक केन्द्रीय कानून लाने की भी घोषणा की थी। इसके अनुसरण में सरकार ने वित्तीय सेवा विभाग की वेबसाइट पर प्रस्तावित "अनियमित जमा स्कीमों की पाबंदी और जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2015" सहित आईएमजी रिपोर्ट रखी है और इनकी प्रतियां विभाग द्वारा संबंधित विभागों/मंत्रालयों/राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ सभी नियामकों को इन पर अपनी टिप्पणियां देने के लिए परिचालित भी कर दी गई हैं।

(घ): नए कानून में पिरामिड विपणन कंपनियों को परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, विधेयक में 'अनियमित जमा स्कीम' को परिभाषित किया गया है और इसमें ऐसी स्कीमों से जुड़े होने पर जुर्माने की व्यवस्था है।

*****